uxj ipk;r dkV[kkb] ftyk f'keyk] fgekpy in'k d y[kkvk dk vd{k.k o fujh{k.k ifronuA

vd{k.k vof/k 04@2007 l 03@2011

Hkkx&,d

ijk 1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत कोटखाई, जिला षिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vd{k.k vof/k d nkjku vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh d in ij fuEufyf[kr i/kku o lfpo dk;jr jg %&

i/kku %&

Øekd	uke	vof/k
1	श्री रविन्द्र चौहान	01.04.2007 से 09.07.2009 तक
2	श्री मोही राम वर्मा	22.07.2009 से 11.01.2010 तक
3	श्री सुन्दर चौहान	31.01.2010 से 02.01.2011 तक
4	श्री रविन्द्र चौहान	31.01.2011 से 31.03.2011 तक

lfpo %&

Øekd	uke	vof/k
1	श्री अनिल चौहान	01.04.2007 से 31.03.2011 तक

¼[k½ uxj ipk;r dkV[kkb d y[kk vof/k 04@2007 l 03@2011 e ikb xb xEHkhj vkifÙk;k dk lf{kIr lkj %&

Øekd	ijk l[;k	vd{k.k vkifÙk dk lf{kIr lkj
1.	6(1)	विभिन्न आबंटियों से दुकानों के किराए की राषि ₹21.06 लाख की वसूली शेष।

2.	7(3)	नियमों की अनदेखी करके कर्मचारी को ₹3.44 लाख का भुगतान करना।
3.	8(1)	बैंक द्वारा ₹10,350/—की अनुचित कटौती।
4.	8(5)	डिपोज़िट कार्य हेतु किए गए ₹5,00,000/—के भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
5.	8(6)	क्रय किए गए ₹16,880/—के सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना।
6.	8(7)	30.53 घन मीटर रेत का संभावित दुरूपयोग।
7.	8(8)	क्रय किए हुए 19.37 घनमीटर रेत तथा 4.78 घनमीटर रोडी की खरीद सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत न करना।
8.	9.1, 9.3.1 तथा 9.4.1	ठेकेदारों के कार्य समापन में विलम्ब से होने पर भी अनुबन्ध की धारा—2 के अन्तर्गत ₹5,56,668/—की वसूली न करना।
9.	9.3.2 तथा 9.4.5	₹37,662/—मूल्य की अतिरिक्त मदों का बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के निष्पादन करवाना।

¼x½ xr vd{k.k ifronu ¼&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''घ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

ijk 2 orZeku vd{k.k ¼&

नगर पंचायत कोटखाई, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष के अवधि 01.04.2007 से 31.03.2011 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण व निरीक्षण श्री डी0आर0 चौहान, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 18.03.2011 से 10.05.2011 तक (अवकाष को छोड़कर) नगर पंचायत के कोटखाई स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु माह 04/2007, 05/2008, 03/2010

तथा 12/2010 का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

अनुवर्ती पैरों में दर्षाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत कोटखाई प्रषासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/सूचनाओं के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी अधूरी सूचना/अभिलेख के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अंकेक्षण विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक सीमित रहेगा।

i`jk 3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत कोटखाई, जिला षिमला, हिमाचल प्रदेष के अवधि 01.04.2007 से 31.03.11 तक के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण शुल्क ₹21,600/–(ईक्कीस हजार छः सौ) मात्र बनता है। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''क'' पर दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क की राषि का भुगतान निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष के नाम देय रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 43, दिनांक 10.05.2011 द्वारा सचिव नगर पंचायत कोटखाई से अनुरोध किया गया।

i`jk 4 foÙkh; fLFkfr

4-1 अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी :–

uxj iapk;r dksV[kkbZ dh vof/k 01-04-2007 ls 31-03-2011 dh foÙkh; fLFkfr

Ok"kZ	ikjfEHkd 'ks"k		vk;	;ksx	O;;	vUr 'ks"k
2007–08	अपने साधनों से	859986.54	819360.00	1679346.54	768087.00	911259.54
	अनुदान से	3730864.80	4330672.00	8061536.80	1328586.00	6732950.80
	dqy ;ksx	4590851-34	5150032-00	9740883-34	2096673-00	7644210-34
2008–09	अपने साधनों से	911259.54	1173245.00	2084504.54	707435.00	1377069.54
	अनुदान से	6732950.80	8110374.00	14843324.80	2888190.00	11955134.80
	dqy ;ksx	7644210-34	9283619-	16927829-	3595625-00	13332204-

			00	34		34
2009—10	अपने साधनों से	1377069.54	1046509.00	2423578.54	781032.00	1642546.54
	अनुदान से	11955134.80	2376430.00	14331564.80	4417165.00	9914399.80
	dqy ;ksx	1333220434	3422939-00	16755143-34	5198197-00	11556946-34
2010—11	अपने साधनों से	1642546.54	6044973.00	7687519.54	2359917.00	5327602.54
	अनुदान से	9914399.80	3182785.00	13097184.80	10084576.00	3012608.80
	dqy ;ksx	11556946-34	9227758-00	20784704-34	12444493-00	8340211-34

fnukd 31-03-2011 dks gLrxr jkf'k o cSdks esa tek jkf'k dk fooj.k %&

(1)	हस्तगत राषि	शून्य
(2)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 11293421568 में जमा राषि	₹281918.97
(3)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 11293421783 में जमा राषि	₹5395393.83
(4)	भारतीय स्टेट बेंक के बचत खाता संख्याः 11293431148 में जमा राषि	₹145960.64
(5)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 11293421807 में जमा राषि	₹668873.80
(6)	हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक सीमित के बचत खाता संख्या 7734 में जमा राषि	₹279172.00
(7)	भारतीय स्टेट बैंक के सावधि जमा खाता संख्या 11293475321 में जमा राषि	₹1546087.00
	dqy ;ksx	₹8317406-24

दिनांक 31.03.2011 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तषेष	₹8340211.34
दिनांक 31.03.2011 को बैंक में जमा कुल राषि	₹8317406.24
vUrj	₹22805-10

vUrj dk fooj.k%&

विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में रोकड़ बही में कम दर्षाई गई राषि	₹38815.10
(+) वह राषि जो बैंक द्वारा दिनांक 31.07.2010 को दो बार आहरित की हुई दर्षाई गई है।	₹1276.00
(–) दिनांक 29.10.2010 को जारी किए गए चैक संख्याः 336248 की वह राषि जिसका दिनांक 31.03.2011 तक आहरण नहीं हुआ	₹12323.00
(–) दिनांक 28.03.2011 को जारी किए गए चैक संख्याः 496287 की वह राषि जो दिनांक 31.03.2011 तक आहरित नहीं की गई	₹4963.00
dqy ;ksx	₹22805-10

उपरोक्त दर्षाई गई ₹1276/–की राषि की प्रविष्टि की दुरूस्ती बैंक से करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए। इसके अतिरिक्त विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार रोकड़ बही में कम ली गई राषि ₹38815.10 की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त वस्तुस्थिति/कारणों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त लेखों में तदानुसार अपेक्षित दुरूस्ती की जानी सुनिष्चित की जाए।

4-2 lkof/k fuos'k%&

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2011 को भारतीय स्टेट बैंक कोटखाई में ₹1546087/–की राषि निवेष की गई थी जिसकी परिपक्वता तिथि दिनांक 29.11.2011 तथा शेष विवरण निम्नानुसार है :–

lkof/k [kkrk la[;k	fuos'k dh frfFk	fuos'k dh ifjiDork frfFk	C;kt nj	ifjiDork dh jkf'k
11293475321	29.11.10	29.11.11	7.00% PA	₹1657187.00

अतः उपरोक्त निवेष को समय पर भुनाना व तदानुसार ही इसका लेखांकन किया जाना सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

4-3 नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि में कोई भी राषि ऋण के रूप में प्राप्त नहीं की गई तथा इसके अतिरिक्त नगर पंचायत के किसी कर्मचारी से दिनांक 31.03.2011 के स्टाफ अग्रिम की कोई वसूली शेष नहीं थी।

4-4 jkofM+ cgh dk mfpr j[k&j[kko u djuk%&

नगर पंचायत की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि प्राप्ती व व्यय पक्ष में लेन देन की प्रविष्टियाँ स्वतः स्पष्ट रूप से न करके संक्षिप्त रूप से लेखांकित की गई हैं जो कि एक अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त Multi Column रोकड़ बही का रख–रखाव भी नहीं किया जा रहा जिससे यह स्वतः स्पष्ट हो सके कि आय की प्राप्ति अथवा व्यय का भुगतान किस मद से हुआ है।

अतः उपरोक्त त्रुटियों को सुधारते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

i`jk 5-1 vads{k.k vof/k dk nkSjku izkIr vuqnku dh jkf'k;ksa esa ls ₹30-13 yk[k dh jkf'k dk O;; u djuk %&

vuqnku %& अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत को ₹18000261/–की राषि का कुल अनुदान प्राप्त हुआ तथा प्राप्त अनुदान का स्त्रोतवार पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''ख'' से ''थ'' द्वारा दर्षाया गया है। अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राषियों में से निम्नलिखित राषियाँ अव्ययित (Unspent) पड़ी थी :–

Øekad	vuqnku dk L=ksr	fnukad 31-03-2011 dks vO;f;r jkf'k	ifjf'k"V dk fooj.k
1.	Grants received under Maintenance of ULB roads	₹760607/–	परिषिष्ट ''ख''
2.	Grants received under Tourism and Civil aviation.	₹423141/–	परिषिष्ट ''ग''
3.	Grants received under EIUS/NSDP Scheme	₹605838/–	परिषिष्ट ''घ''
4.	Grants received for purchase of garbage bin	₹22500/–	परिषिष्ट ''च''
5.	Grants received under SFC Grants	₹402090/–	परिषिष्ट ''ज''
6.	Grants received under natural calamities	₹214062/–	परिषिष्ट ''झ''
7.	Grants received under IDSMT	₹438970/–	परिषिष्ट ''ञ''
8.	Grants received under 13th Finance Commission	₹145400/–	परिषिष्ट ''थ''
	Total	₹3012608@&	

अतः इन अनुपयुक्त (Unspent) राषियों को या तो सम्बन्धित संस्था को लौटाया जाना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा सम्बन्धित संस्था से इन राषियों को निर्धारित समय अवधि के बाद व्यय करने हेतु आवष्यक स्वीकृति प्राप्त करवाना सुनिष्चित किया जाए।

5-2 vunku jkf'k ₹1-37 djkM d mi;kfxrk iek.k i= tkjh u djuk %&

दिनांक 31.03.2011 तक निम्न विवरणानुसार ₹1,37,30,303/—की राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषण हेतु शेष थे। इस राषि का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है।

Øekd	ikIr vunku dk L=kr	01-04-2007 ls 31-03-2011 rd 0;; dh xbZ dqy jkf'k	01-04-2007 ls 31-03-2011 dh vof/k esa Hkstsx, mi;kfxrk iek.k i=ka esa lfEefyr jkf'k	'ks"k jkf'k ftlds mi;kfxrk iek.k i= 31-03-2011 rd ugha Hksts x,
1	Grants received under Maintenance of ULB roads	₹1340292.00	₹1259680.00	₹80612.00
2	Grants received under Tourism and Civil Aviation	₹176859.00	-----	₹176859.00
3	Grants received under EIUS/NSDP Scheme	₹1521921.00	₹1000000.00	₹521921.00
4	Grants received under SFC	₹2558891.00	₹1807247.00	₹1151644.00
5	Grants received under IDSMT	₹5641707.00	-------	₹5641707.00
6	Grants received under SJSRY	₹99398.00	---------	₹99398.00
7	I.P.H. Department	₹1300000	---------	₹1300000
8	Tele Communication Department	₹157800	---------	₹157800
9	D.C. Shimla	₹366	-------	₹366
10	RGURF	₹4600000	------	₹4600000
			Total	₹1]37]30]303-00

अतः उपरोक्त दर्षाई गई राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्राधिकारियों/कार्यालयों को यथाषीघ्र प्रेषित किए जाने सुनिष्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र समय रहते प्रेषित किए जाएें।

5-3 अनुदान रजिस्टर में प्राप्त अनुदान राषियों व व्यय का विवरण उचित प्रकार से रोकड बही को सन्दर्भन करते हुए लेखांकित न किए जाने के कारण अनुदान विवरणियों की जाँच में अत्यन्त कठिनाई का सामान करना पड़ा। अतः अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव उपरोक्त सुझाव के अनुसार किया जाए ताकि उक्त रजिस्टर का अवलोकन सुगमता से सम्भव हो सके।

i`jk 6 vk; %&

6-1 n`dkuks dh vkcfV;ksa ls 31-03-11 rd jkf'k ₹21-06 yk[k dh fdjk, dh olwyh 'ks"k %&

नगर पंचायत की दुकानों/स्टालों के किराए रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया निम्नलिखित आबंटियों/किराएदारों से दिनांक 31.03.2011 तक ₹21,06,038/–की राषि किराए के रूप में वसूली हेतु शेष पड़ी थी :–

Øekd	vkcfVr@fdjk,nkj dk uke	fnukd 31-03-2011 dks fdjk, dh olwyh ;ksX; 'ks"k jkf'k
1.	श्री शंकर	₹5,780.00
2.	श्रीमति डोलमा नेगी	₹5,579.00
3.	श्रीमति शन्ति नेगी	₹6342.00
4.	श्री सुरेन्द्र	₹47,882.00
5.	श्री राम प्रकाष	₹789.00
6.	श्री रतन चन्द	₹56,386.00
7.	श्री रूप सिंह	₹5,770.00
8.	श्रीमति सत्या देवी	₹5,670.00
9.	श्री ठेला राम	₹6,152.00
10.	श्री सेवा राम	₹6,105.00
11.	श्री रमेष चन्द नेगी	₹6,870.00
12.	श्री मति सीता देवी	₹6,400.00
13.	श्री बांका राम	₹5,527.00
14.	श्री बलदेव राज	₹12,386.00

15.	श्री श्रीराम गुप्ता	₹5,975.00
16.	श्री ओम प्रकाष	₹2,051.00
17.	श्री कान्हा सिंह	₹8,076.00
18.	श्री मोहन सिंह मैहता	₹8,810.00
19.	श्री प्रकाष चन्द शर्मा	₹9,634.00
20.	श्री कान्हा सिंह घड़ीसाज़	₹64,060.00
21.	श्री सुन्दर सिंह	₹4,578.00
22.	श्री देवेन्द्र गांगटा	₹18,026.00
23.	श्री कान्हा सिंह सपुत्र श्री साध राम	₹11,967.00
24.	श्रीमति राम कली	₹3,803.00
25.	श्रीमति देवकु देवी	₹10,434.00
26.	श्री हरदयाल सिंह	₹13,357.00
27.	श्री रमेष चन्द	₹8,435.00
28.	श्री रामदीन गुप्ता	₹9,794.00
29.	श्री पृथ्वी चन्द	₹14,896.00
30.	श्री चतरा राम	₹7,550.00
31.	श्री चुन्नी लाल	₹63,617.00
32.	श्री खेम राज	₹8,389.00
33.	श्री ओंकार चन्द	₹6,850.00
34.	श्री विजय कुमार	₹1,15,400.00
35.	श्री बाल कृष्ण	₹1,45,275.00
36.	श्रीमति बिमला नेगी	₹4,621.00
37.	श्री सुभाष चन्द	₹24,775.00
38.	श्री दयाल चौहान	₹83,905.00
39.	श्री परमानन्द	₹28,418.00
40.	श्री ओ0पी0 गांगटा	₹69,872.00
41.	श्री श्रवण कुमार	₹12,456.00

42.	श्री सुरेन्द्र सिंह	₹14,200.00
43.	श्रीमति चन्चला देवी	₹18,110.00
44.	श्री रविन्द्र मैहता	₹97,000.00
45.	श्री सोहन लाल	₹44,009.00
46.	श्री जगमोहन	₹37,800.00
47.	मैसर्ज गोपाल एजैन्सीज़	₹2,15,250.00
48.	श्री राजकुमार	₹21,150.00
49.	श्री सुरेष कतना	₹42,400.00
50.	श्री अयूब	₹35,940.00
51.	हिमाचल प्रदेष पथ परिवहन निगम	₹8,800.00
52.	श्री देवेन्द्र चौहान	₹2,41,980.00
53.	श्री नरेष	₹51,800.00
54.	मैसर्ज़ लक्ष्मी स्टूडियोज़	₹1,34,800.00
55.	श्री लखनपाल	₹11,065.00
56.	श्री भलकू राम	₹3,272.00
57.	मैसर्ज़ डोगरा एण्ड कम्पनी	₹14,000.00
58.	मैसर्ज़ डोगरा एण्ड कम्पनी	₹17,500.00
59.	श्री मोहम्मद शरीफ	₹11,365.00
60.	श्री देवेन्द्र जस्टा	₹10,305.00
61.	श्रीमति फूलवती	₹7,530.00
62.	दूरसंचार विभाग	₹20,288.00
63.	सरस्वती विद्या मन्दिर विद्यालय	₹86,400.00
64.	श्री अनूप कुमार	₹18,412.00
	d|y ;kx	₹21]06]038-00

चूंकि वसूली की यह राषि दिनांक 31.03.2007 को ₹13,47,846.00 थी जो कि बढ़कर अब ₹21,06,038/– हो गई है। अतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत किराए की वसूली के प्रति गम्भीर नहीं है जोकि एक चिन्ता का विषय है। नगर पंचायत द्वारा अपेक्षित वसूली समय पर न होने के कारण

ब्याज के रूप में होने वाली आय से वंचित होना पड़ रहा है क्योंकि यदि वसूली में संलिप्त राषि का निवेष किया होता तो आवष्य ही नगर पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हुई होती। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उपरोक्त सूची के क्रम संख्याः 55 से 62 तथा क्रम संख्याः 64 पर वर्णित आबंटियों से अंकेक्षण अवधि में किराए की बकाया राषि की कोई भी वसूली नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को चर्चा में बताया गया कि इन आबंटियों द्वारा नगर पंचायत की दुकानें खाली कर दी गई हैं। जिन्हें समय–समय पर अन्य आबंटियों को आबंटित किया जा चुका है। चूंकि उपरोक्त आबंटियों से ₹1,13,737/–की वसूली शेष है तथा इन आबंटियों के पास नगर पंचायत की दुकानें अब न होने के कारण इनसे वसूली की सम्भावनाऐं कम हो गई हैं। अतः इन आबंटियों से अपेक्षित वसूली की ओर विषेष ध्यान देते हुए दिनांक 31.03.11 तक कुल वसूली योग्य राषि की भी शीघ्र वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

6-2 ₹105@&dh ikIr jkf'k dk dk;ky; esa tek u djokuk ¼&

नगर पंचायत की रसीद बुकों, रोकड़ बही व बैंक खातों के मिलान करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में प्राप्त राषि को सम्बन्धित लिपिक द्वारा कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया है :–

Øekad	th&8 jlhn la[;k o fnukad ftlds vUrxZr jkf'k ikIr dh xbZ	O;fDr dk uke ftlls jkf'k ikIr dh xbZ o mís'; ftl gsrq jkf'k ikIr dh xbZ	ikIr dh xbZ jkf'k
1	73/026, दिनांक 11.03.2010	श्री निपुण शर्मा से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्राप्त शुल्क	₹5.00
2	73/043, दिनांक 31.03.2010	श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री ओंकार चन्द से टैण्डर फार्म हेतु प्राप्त राषि	₹100.00
		dqy ;ksx	₹105-00

यद्यपि उपरोक्त राषि की वसूली अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्याः (जी–8) 77/027, दिनांक 09.05.2011 द्वारा कर ली गई है तद्यपि भविष्य में निकट पर्यवेक्षण द्वारा ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर अंकुष सुनिष्चित किया जाए।

6-3 foKkiuksa ls ikIr vk; ¼&

नगर पंचायत को वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2010–2011 में विज्ञापनों से क्रमषः ₹6,810/–तथा ₹1500/–की राषि प्राप्त हुई है जबकि वर्ष 2007–2008 तथा वर्ष 2009–2010 में इस मद से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा

समय—समय पर लगाए गए बड़े—बड़े होर्डिंग देखे जा सकते हैं। अतः न केवल इस मद से पूरे वर्ष में आय का न होना जहां एक ओर पूर्णतया संदिग्ध है वहीं दूसरी ओर इतनी कम राषि प्राप्त होना भी कम संदिग्ध नहीं है। अतः नगर पंचायत के प्राधिकारियों के समक्ष यह प्रकरण इस आष्य से लाया जाता है कि इस ओर विषेष ध्यान देते हुए नगर पंचायत की आय बढ़ाने हेतु विषेष पग उठाऐं ताकि नगर पंचायत आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सके।

इसके अतिरिक्त विज्ञापनों से प्राप्त आय की प्रविष्टियां किसी रजिस्टर में नहीं की जाती। अतः अपेक्षित रजिस्टर का उचित रख—रखाव सुनिष्चित किया जाए जिसमें इस मद से प्राप्त आय का वर्षवार ब्यौरा प्रविष्ट कर सक्षम प्राधिकारी से अधिप्रमाणित करवाया जाए।

6-4 'kjkc 'kYd %&

नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि में शराब शुल्क से प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

o"kZ	izkIr jkf'k
2007—08	₹1,11,117 / —
2008—09	₹74,638 / —
2009—10	₹97,729 / —
2010—11	₹59,755 / —

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा शराब शुल्क का कोई विवरण / अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे यह सुनिष्चित हो सके कि नगर पंचायत को शराब शुल्क के रूप में जो आय प्राप्त हुई है वह नगर पंचायत सीमा के भीतर बेची जा रही शराब की बोतलों के अनुसार सही भी है अथवा नहीं। अतः यह सत्यापन न हो सका कि उपरोक्त प्राप्त राषियाँ किन अवधियों की है। अतः यह प्रकरण आबकारी विभाग से उठाते हुए अपेक्षित सूचनाऐं एकत्रित की जाए व वांछित अभिलेख तदानुसार ही तैयार करके पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाना सुनिष्चित किया जाए।

6-5 fctyh 'kYd ls izkIr vk; %&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0—डी(1)—9 / 94, दिनांक 24.08.2000 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 01.10.2000 से एक पैसा प्रति युनिट की दर से हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत कोटखाई को इस मद पर विद्युत बोर्ड से वर्ष 2008—2009 के दौरान मात्र ₹31,433 / —की राषि के अतिरिक्त कोई अन्य राषि प्राप्त नहीं हुई।

नगर पंचायत कार्यालय में कोई ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त मद में प्राप्त राषि का सत्यापन किया जा सके, और न ही इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को विद्युत बोर्ड कार्यालय के साथ हुए किसी भी प्रकार के पत्राचार से अवगत करवाया गया।

अतः यह प्रकरण विद्युत बोर्ड से उठाते हुए यह सुनिष्चित करवाया जाए कि उपरोक्त प्राप्त ₹31,433/–की राषि किस अवधि की है तथा क्या यह राषि उपरोक्त अधिसूचना में प्रावधानानुसार सही भी है अथवा/अन्यथा इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में विद्युत बोर्ड कार्यालय से विस्तृत ब्यौरा दिनांक 01.10.2000 से मंगवाकर शेष बची वसूली योग्य राषि की वसूली भी तदानुसार ही सुनिष्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में वांछित अभिलेख का रख–रखाव रजिस्टर में प्रविष्टियों सहित सुनिष्चित किया जाए।

6-6 Hkou uD’kk Qhl ¼**Map Fee**½ d : i e iklr vk; %&

नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भवन नक्षा फीस (Map Fee) के रूप में प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

o"k	o"k d nkjku iklr vk;
2007–2008	₹350/–
2008–2009	₹4,840/–
2009–2010	₹820/–
2010–2011	₹420/–

चूंकि उपरोक्त प्राप्त आय नगर पंचायत क्षेत्र में बने अथवा बन रहे भवनों की संख्याः को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होती है। अतः यह प्रकरण नगर पंचायत के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ इस आषय से लाया जाता है कि इस मद से होने वाली आय बढ़ाने हेतु विषेष कदम उठाऐं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में इस मद से होने वाली आय से सम्बन्धित एक रजिस्टर का रख–रखाव भी सुनिष्चित किया जाए जिसमें आवेदनकर्त्ता के पूर्ण विवरण के अतिरिक्त प्रांगण का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित) व प्राप्त की गई फीस का पूर्ण विवरण भी अभिलेखित किया हो।

6-7-1 jgu cljk l iklr vk; %&

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा रैहन बसेरा रजिस्टर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा नगर पंचायत द्वारा वर्गीकृत रोकड़ बही का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। अतः इस मद से प्राप्त आय की वर्षवार पुष्टि सम्भव न हो सकी। अतः उक्त रजिस्टर सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित करने के अतिरिक्त रैहन बसेरा प्रांगण का संचालन व रख–रखाव

निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः UD-NSDP/EIUS-H(F)(1)-1/02-IX-9593-9601, दिनांक 30.06.2008 में विनिर्दिष्ट अनुदेषों के अनुरूप किया जाए ताकि रैहन बसेरा प्रांगण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके।

6-7-2 निदेषक, शहरी विकास के उपरोक्त पत्र के अनुसार रैहन बसेरा भवन/प्रांगण से सम्बन्धित आय/व्यय का लेखा प्रतिमाह उनके कार्यालय को प्रत्येक महीने की पांच तारीख से पहले प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। किन्तु नगर पंचाचत कोटखाई द्वारा अंकेक्षण अवधि में ऐसे किसी ब्यौरे को निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष को भेजे जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेज़ अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त सूचनाऐं/अभिलेख की अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किए जाने सुनिष्चित किए जाऐं।

6-8 xgdj vf/kjksfir u djdk uxj iapk;r dk jktLo dh viR;kf'kr gkfu %&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–डी(1)–9/94–दिनांक 28.09.1997 के अनुसार सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों में दिनांक 01.09.1997 से गृहकर अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है। किन्तु नगर पंचायत कोटखाई के प्रकरण में पाया गया कि नगर पंचायत ने अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई गृहकर की मांग और न ही कोई उगाही किसी कर निर्धारित (Tax assesse) से की हैं और यहां तक कि किसी कर निर्धारित का कर निर्धारण तक भी नहीं किया है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत कर अधिरोपण के सन्दर्भ में कतई गम्भीर नहीं है।

अतः यह प्रकरण निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष के विषेष ध्यानार्थ इस सन्दर्भ में विषिष्ट आदेष पारित करने के उद्देष्य से लाया जाता है ताकि न केवल उनके उपरोक्त अनुदेषों की अनुपालना सम्भव हो सके, अपितु नगर पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके।

6-9 tUe ,oa eR;q iaek.k i= 'kYd rFkk rgcktkjh 'kYd %&

नगर पंचायत द्वारा इन शुल्कों के अभिलेख का उचित रख–रखाव न होने के कारण तथा वर्गीकृत रोकड़ बही का रख–रखाव न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान इन मदों से वर्षवार प्राप्त आय का सत्यापन सम्भव न हो सका। अतः अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव अब सुनिष्चित करते हुए भविष्य में इन मदों से प्राप्त होने वाली आय का सत्यापन अंकेक्षण से वर्षवार करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

6-10 dqÙkk 'kYd ¼**Dog Tax**½ olwy u djuk %&

हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल अधिनियम, 1994 की धारा 66(1) के अर्न्तगत नगर परिषद/पंचायत की सीमा के अन्दर पाले जा रहे कुत्तों पर शुल्क (Dog tax) अधिरोपित करने का प्रावधान है। किन्तु नगर पंचायत कोटखाई के प्रकरण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिक से कुत्ता शुल्क के रूप में कोई भी राषि वसूल नहीं की है। चूंकि नगर पंचायत क्षेत्र में एक भी पालतू कुत्ता न होना अविषवसनीय है, अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित वसूली यथाषीघ्र करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6-11 **bZ/ku dh dPph o iDdh ydMh ¼Fire wood½ %&**

ईंधन की कच्ची व पक्की लकड़ी (Fire Wood) के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–3 तथा 4 में कृत प्रविष्टियों के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त रजिस्टर में यह वर्णित नहीं है कि वन मण्डल कनलोग, षिमला से कच्ची व पक्की ईंधन की लकड़ी किस बिल के अर्न्तगत किस दर पर क्रय की गई है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर में यह भी वर्णित नहीं है कि विक्रय दर्षाई गई लकड़ी किसी रसीद (जी–8) के अर्न्तगत कितनी राषि में बेची गई। इन सूचनाओं के अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि नगर पंचायत द्वारा ईंधन की लकड़ी क्रय व विक्रय करने में कोई आर्थिक हानि तो नहीं हो रही।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त रजिस्टर के पृष्ठ–3 तथा 4 पर दिनांक 22.12.2010 को श्री सी0आर0वर्मा को बेची गई लकड़ी की प्रविष्टियाँ तो पहले है जबकि दिनांक 17.11.2010 को श्री रोषन लाल को बेची गई लकड़ी की प्रविष्टियाँ तो पहले है जबकि दिनांक 17.11.2010 को श्री रोषन लाल को बेची गई लकड़ी की प्रविष्टियाँ बाद में है तथा यह कृत प्रविष्टियाँ भी किसी प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित नहीं है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि स्टॉक प्रविष्टियाँ नैत्यिक (routene) तौर पर नहीं की जाती।

अतः उपरोक्त सब त्रुटियों को दूर करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति न हो भी सुनिष्चित किया जाए।

i`jk 7 LFkkiuk %&

7-1 **₹141@&dh vns; ¼inadmissible½ vkS"kf/k;ksa dk Hkqxrku %&**

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में कर्मचारियों को भुगतान किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों/बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री अनिल चौहान, सचिव को निम्न विवरणानुसार ₹141/–की अदेय (inadmissible) औषधियों का भुगतान किया गया है :–

Øekad	okÅpj la0 o fnukad	fpfdRlk i)fr ftlea fpfdRlk 0;; iafrifrl dh xbl	vnk; vk"kf/k dk fooj.k	vk"kf/k dk eY;
1	वाऊचर सं0 01, दिनांक 03.04.07	आयुर्वेदिक	Axidental oil	₹45.00
2	वाऊचर सं0 01, दिनांक 03.04.07	आयुर्वेदिक	Axidental oil	₹53.00
3	वाऊचर सं0 11, दिनांक 28.04.07	आयुर्वेदिक	Erand Taila	₹43.00
			Total	₹141-00

अतः उपरोक्त राषि की वसूली सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

7-2 lQkbl Bdnkjk l lEcfU/kr nLrko t vd{k.k dk iLrr u djuk %&

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में अपने परिक्षेत्र की सफाई का कार्य ठेके पर करवाया गया। इस कार्य से सम्बन्धित निम्न वर्णित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया :—

7-2-1 श्री बाबू राम, सफाई ठेकेदार को अवधि 01.03.2008 से मार्च, 2009 तक नगर पंचायत परिक्षेत्र में सफाई कार्य का ठेका ₹12,100/—प्रतिमाह के हिसाब से आबंटित किया गया। जैसा कि उक्त ठेकेदार द्वारा नगर पंचायत को प्रस्तुत शपथ पत्र के अवलोकन से विदित होता है। इस प्रकरण में शपथ पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज़ जैसे कि Notice Inviting of Tenders/Quotations, Rates Quoted by the different Contractors, Comparetive Statement and Award letter इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। ठेकेदार को वाऊचर संख्याः 11 दिनांक 05.05.2008 द्वारा अवधि 24.04.2008 से 30.04.2008 का ₹2,821/—का भुगतान किया गया है।

7-2-2 श्री कोमल कुमार, सफाई ठेकेदार को चैक संख्यः 183480, दिनांक 17.03.2010 द्वारा माह जनवरी व फरवरी, 2010 का क्रमषः ₹12,000/—तथा ₹10,281/—का भुगतान (कुल योग ₹22,821/—) किया गया है। इस प्रकरण में भी Notice inviting tenders/quotations, rates quotated by the different contractors, comparative statements, award letter as well as contract agreement, if any entered into with the contractor अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए।

7-2-3 श्री अरूण कुमार, सफाई ठेकेदार को चैक संख्याः 398319, दिनांक 03.12.2010 द्वारा माह नवम्बर, 2010 में नगर पंचायत परिक्षेत्र में कृत सफाई कार्य के एवज़ में ₹22,000/—का भुगतान किया गया। इस प्रकरण में Award Letter and contract agreement, if any entered into with the contractor अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए।

उपरोक्त प्रकरणों में दर्षाए गए अभिलेख के अभाव में चूंकि दर्षाया गया कृत कार्य प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, अतः इन प्रकरणों में दर्षाया गया समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारणों से भी अवगत करवाते हुए आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

7-3 fu;eksa dh vunns[kh djds ₹3-44 yk[k dh etnwjh dk vfu;fer Hkqxrku %&

नगर पंचायत के अवधि 01.04.2007 से 31.03.2011 तक के मस्टर रोलों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह, वर्क सुपरवाईज़र को उक्त अवधि में निम्नविवरणानुसार ₹1,51,113/–का wages का भुगतान किया गया है :–

ekg	Hkqxrku dh jkf'k
4/2007	₹2,314/–
5/2007	₹2,759/–
6/2007	₹2,670/–
7/2007	₹2,759/–
8/2007	₹1,290/–
9/2007	₹2,670/–
10/2007	₹2,492/–
11/2007	₹2,314/–
12/2007	₹2,535/–
01/2008	₹401/–
02/2008	₹1,023/–
03/2008	₹1,780/–
dqy ;ksx	₹25]007@&

ekg	Hkqxrku dh jkf'k
4/2008	₹2,625/–
5/2008	₹2,759/–
6/2008	₹2,670/–
7/2008	₹2,759/–

8／2008	₹2,136／–
9／2008	₹2,670／–
10／2008	₹2,759／–
11／2008	₹1,424／–
12／2008	₹2,714／–
01／2009	₹3,100／–
02／2009	₹2,800／–
03／2009	₹3,100／–
dqy ;ksx	₹31]516@&

ekg	Hkqxrku dh jkf'k
4／2009	₹3,000／–
5／2009	₹3,100／–
6／2009	₹3,000／–
7／2009	₹3,100／–
8／2009	₹4,340／–
9／2009	₹4,200／–
10／2009	₹4,340／–
11／2009	₹4,200／–
12／2009	₹3,990／–
01／2010	₹4,130／–
02／2010	₹3,710／–
03／2010	₹4,340／–
dqy ;ksx	₹45]450@&

ekg	Hkqxrku dh jkf'k
4／2010	₹4,200／–
5／2010	₹4,340／–
6／2010	₹4,200／–

7/2010	₹4,340/–
8/2010	₹4,340/–
9/2010	₹4,200/–
10/2010	₹4,340/–
11/2010	₹4,200/–
12/2010	₹4,340/–
01/2011	₹4,340/–
02/2011	₹2,240/–
03/2011	₹4,060/–
d|y ;kx	₹49]140@&

अंकेक्षण अवधि में किया गया कुल भुगतान = ₹25,007 + ₹31,516 + ₹45,450 + ₹49,140 = ₹1,51,113/–

उक्त कार्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर ही की है जिसमें सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं है जैसा कि विगत अंकेक्षण अवधि 01.04.1996 से 31.03.2007 के पैरा 5(1) में भी स्पष्ट किया गया था। अतः यह नियुक्ति तब तक नियमित नहीं मानी जा सकती जब तक इस नियुक्ति के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता। चूंकि अपेक्षित अनुमोदन नगर पंचायत द्वारा अभी तक भी प्राप्त नहीं किया है। अतः उक्त कार्य पर्यवेक्षक को निम्नविवरणानुसार wages के रूप में किया गया भुगतान अनियमित है :–

(1) माह 2/2002 से 31.03.2007 तक किया गया भुगतान जिसका विवरण विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5(1) में है	₹1,92,786/–
(2) अवधि 4/2007 से 03/2011 तक उपरोक्त विवरणानुसार किया गया भुगतान	₹1,51,113/–
d|y vfu;fer Hkxrku	₹3]43]899@&

अतः या तो अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए अन्यथा कृत अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

7-4 ekun; ds Hkqxrku ls vuqiqjd fu;eksa ds vUrxZr ₹4]800@&dh dVkSrh u djuk%&

नगर पंचायत द्वारा पूरे वर्ष में सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग, कोटखाई की सेवाऐं निर्माण कार्य के सन्दर्भ में ली जाती हैं जिसके एवज़ में सहायक अभियन्ता को प्रतिमाह ₹300/–का भुगतान मानदेय के रूप में किया जाता है। नगर पंचायत द्वारा इस भुगतान हेतु निदेषक, शहरी विकास की स्वीकृति पत्र संख्याः UD-H(B)(2)-13/87-I-9980, दिनांक 23.06. 2000 द्वारा प्राप्त की गई है जो कि अनूपुरक नियम 11 तथा 12 के प्रावधानों के अधीन थी।

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार ₹14,400/–का भुगतान मानदेय के रूप में सहायक अभियन्ताओं को किया गया है :–

Øekad	lgk;d vfHk;Urk dk uke	ekun; dh vof/k	ekun; dh jkf'k o pSd dk fooj.k
1	श्री गुलाब चन्द	4/07 से 06/08	₹4,500/– चैक संख्याः 279037, दिनांक 16.07.2008 द्वारा
2	श्री गुलाब चन्द	7/08 से 03/10	₹6,300/– चैक संख्याः 262283, दिनांक 20.04.2010 द्वारा
3	श्री सी0आर0 तोमर	7/06 से 03/07	₹3,600/– चैक संख्याः 0760454, दिनांक 09.04.2007 द्वारा
		dqy Hkqxrku	₹14]400@&

किन्तु नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त भुगतान करते समय अनुपूरक नियमों के प्रावधानों के अनुरूप मानदेय राषि से एक तिहाइ की कटौती नहीं की है। अतः भुगतान की गई राषि ₹14,400/–की एक तिहाई ₹4800/–की वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में अपेक्षित कटौती भुगतान के समय ही करना सुनिष्चित करें अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7-5 va'knk;h Hkfo"; fuf/k vfxze dk ys[kk tks[kk u j[kuk%&

नगर पंचायत कर्मचारियों के माह नवम्बर, 2010 के वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री रोहिताष कुमार, सफाई कर्मचारी से अंषदायी भविष्य निधि की राषि ₹1500/–की कटौती की गई तथा सभी कटौतियो के उपरान्त उन्हें ₹12,287/–की शुद्ध राषि देय थी। सचिव, नगर पंचायत के पत्र संख्याः 440, दिनांक 03.12.2010 के अनुसार श्री रोहिताष कुमार, सफाई कर्मचारी के वेतन खाता संख्याः 11293441653 में ₹11,787/–तथा उनके अंषदायी भविष्य निधि खाता संख्याः 11293421863 में ₹2,000/–क्रैडिट किए गए।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को चर्चा में बताया गया कि उक्त कर्मचारी को देय वेतन की शुद्ध राषि में से ₹500/–की कटौती करके उनके उपरोक्त अंषदायी भविष्य निधि खाते में इस लिए डलवाया गया था क्योंकि उन्होंने अंषदायी भविष्य निधि से अग्रिम ले रखा था। इस कर्मचारी ने कम कितना अग्रिम लिया है और लिए गए अग्रिम में से कितनी कटौती की गई तथा कितनी शेष है, से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न किए जाने के कारण उपरोक्त तथाकथित अग्रिम की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी।

इसके अतिरिक्त चर्चा में अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि कार्यालय द्वारा अंषदायी भविष्य निधि अग्रिम का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता। अतः न केवल उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए अपितु भविष्य में प्रत्येक स्वीकृत अग्रिम की अधिप्रमाणित प्रविष्टियाँ रजिस्टर में करके प्रत्येक माह कृत वसूली की प्रविष्टियाँ करनी भी सुनिष्चित की जाए ताकि प्रथम दृष्टांत में ही ज्ञात हो सके कि किस कर्मचारी को कब कितना अग्रिम स्वीकृत किया गया है और स्वीकृत अग्रिम में से कब कितनी वसूली की गई और कितनी वसूली की जानी शेष है ताकि अधिक अदायगी अथवा कम वसूली की अवस्थाऐं सिरे से ही समाप्त हो सके।

7-6 ctV jftLVj dk j[k&j[kko u djuk rFkk ctV ufLRk vd{k.k dk iLrqr u djuk %&

नगर पंचायत द्वारा न तो बजट रजिस्टर का रख–रखाव किया जा रहा है और न ही अंकेक्षण को बजट नस्ति अथवा स्वीकृत बजट की प्रतियाँ उपलब्ध करवाई गई। इन अभिलेखों के अभाव में यह पुष्टि सम्भव न हो सकी कि अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत द्वारा व्यय बजट सीमाओं के भीतर किया गया है अथवा अन्यथा।

अतः इन तथ्यों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिष्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में Standard object of Expenditure wise बजट रजिस्टर का रख–रखाव भी सुनिष्चित किया जाए ताकि बजट के उद्देष्य का सही मायनों में पालन सुनिष्चित हो सके।

i|jk 8 0;; %&

8-1 cd }kjk ₹10]350@&dh vufpr dVkrh %&

अतिरिक्त सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः UD-H(F)(10)-2/2005/RGURF-417, दिनांक 23.04.2008 द्वारा नगर पंचायत को RGURF के अन्तर्गत वाहन पार्किंग निर्माण हेतु अनुदान के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्याः 441591, दिनांक 19.04.2009 द्वारा

₹46,00,000/—की राषि प्राप्त हुई थी। इस बैंक ड्राफ्ट का भुगतान पंजाब नैषनल बैंक सैंज, तहसील ठियोग, जिला षिमला में देय था तथा उक्त बैंक की कोटखाई में कोई शाखा नहीं है, अतः नगर पंचायत कार्यालय द्वारा यह ड्राफ्ट समाषोधन (clearing) हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कोटखाई में जमा करवाया गया। नगर पंचायत द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कोटखाई में संचालित खाता संख्या 11293421783 की पास बुक व रोकड़ बही के पृष्ठ 114 के अवलोकन से विदित हुआ कि इस समाषोधन हेतु दिनांक 16.05.2008 को जहां स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कोटखाई द्वारा ₹12,535/—की कटौती की गई है, वहीं पंजाब नैषनल बैंक सैंन्ज, तहसील ठियोग द्वारा भी इसी प्रयोजन हेतु ₹10,350/—की कटौती की है।

चूंकि यह ड्राफ्ट पंजाब नैष्नल बैंक सैन्ज में ही देय था अतः उक्त बैंक द्वारा उपरोक्त कटौती तर्क संगत नहीं है। अतः इस प्रकरण को बैंक प्राधिकारियों से उठाते हुए अनुचित कटौती की राषि की प्रतिपूर्ति सुनिष्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

8-2 ¼& <u>fgekpy izns'k flfoy lIykbZt dkiksZjs'ku f'keyk dks ₹4149@&dk vf/kd Hkqxrku</u>

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेष सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेषन षिमला को 800 बोरी सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु ड्राफ्ट संख्याः 629693, दिनांक 12.03.2010 द्वारा ₹1,53,344/—का भुगतान किया गया। इस सीमेन्ट आपूर्ति के सन्दर्भ में अम्बूजा सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त बिलों का विवरण निम्नानुसार है :—

Invoice No. and date	No. Of Packing's	Assessable value	Vat/CST @12.50%	Fright	Total
8101156869, dated 31-03-2010	200 bags	₹26,869.80	₹3359/-	₹5,770 (+) ₹1,300 **₹7,070**	₹37,298.80
8102002954, dated 07-04-2010	200 bags	₹26,869.80	₹3359/-	₹5,770 (+) ₹1,300 **₹7,070**	₹37,298.80
8102003069, dated 07-04-2010	200 bags	₹26,869.80	₹3359/-	₹5,770 (+) ₹1,300 **₹7,070**	₹37,298.80
8102003441, dated	200 bags	₹26,869.80	₹3359/-	₹5,770 (+) ₹1,300 **₹7,070**	₹37,298.80
Total	**800 bags**				**₹1,49,195.20**

vFkkr **₹1,49,195/-**

इस प्रकार इस प्रकरण में ₹4149/–{₹1,53,344/- (-) ₹1,49,195/-} का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली हिमाचल प्रदेष सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेषन, षिमला से की जानी अपेक्षित है।

चूंकि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा लेखों के रख–रखाव में खाता प्रणाली (Ladger System) को अंगीकृत नहीं किया गया है तथा जिन संस्थाओं को नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निर्माण कार्य के सामान की आपूर्ति हेतु अग्रिम राषियाँ प्रदान की जाती है, के कोई भी खाते तैयार नहीं किए गए हैं। अतः ऐसी अवस्थाओं में उपरोकत प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य ऐसे प्रकरणों के घटित होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण अवधि के सभी ऐसे संचालनों (Transactions) जिनमें निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को अग्रिम राषियाँ प्रदान की गई हैं, का पूर्ण लेखा जोखा तैयार करके यह सुनिष्चित किया जाए कि किसी संस्था को अधिक भुगतान न हुआ हो। अधिक भुगतान की अवस्था में संलिप्त राषि की वसूली उपरोक्त ₹4149/–की वसूली सहित सुनिष्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8-3 ₹200@&dk lfnX/k vkgj.k ¼&

नगर पंचायत के माह 12/2010 के भुगतान वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री घनष्याम शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मैसर्ज़ हरिदास एण्ड कम्पनी, सब्जी मण्डी षिमला से ₹200/–में एक इण्डैन्ट पुस्तिका क्रय की थी जिसका भुगतान उन्होंने अपनी जेब से किया था। इस बिल के साथ जो कैष मैमों संलग्न किया गया था वह उपरोक्त फर्म से सम्बन्धित न होकर Messers Image Marketing, 31 Block No. 6, SDA Complex Kasumpati, Shimla-171009 द्वारा जारी किया गया है जिसकी क्रम संख्याः 13327, दिनांक 04.05.2010 थी । उक्त कैष मैमों के अनुसार एक इन्डैंट पुस्तिका का मूल्य ₹200/– है। ₹200/–की राषि का आहरण अन्य राषियों के साथ चैक संख्याः 398342, दिनांक 24.12.2010 द्वारा किया गया है। चूंकि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता लम्बी बिमारी के कारण अवकाष पर चल रहे हैं। अतः अंकेक्षण की समाप्ति तक उन्हें ₹200/–का भुगतान नहीं किया गया। क्रय की गई इन्डैन्ट पुस्तिका का कोई स्टॉक इन्द्राज भी नहीं किया गया है।

उपरोक्त अवस्थाओं में दर्षाया गया क्रय संदेहास्पद प्रतीत होता है जिसकी पूर्णतया छानबीन कर ही प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को की जानी सुनिष्चित की जाए तथा अंकेक्षण को तदानुसार ही अवगत करवाया जाए।

8-4 Ø; lfefr dh lLrqfr o fufonk,¡ vkea=r fd, fcuk ₹5300@&dh [kjhn djuk %&

हिमाचल प्रदेष वित्तीय नियम, 2009 के नियम 97 सहपठित नियम 98 के अनुसार एक समय में खरीद का कुल मूल्य यदि ₹3000/–से अधिक है तो ऐसी अवस्था में खुले बाजार से निविदाऐं आमंत्रित व क्रय समिति की संस्तुति के बिना खरीद नहीं की जा सकती।

नगर पंचायत कोटखाई द्वारा मैसर्ज़ कपूर प्रिन्टर्ज़, कपूर गैस्ट हाऊस, सन्जौली, षिमला–171006 से कैष/क्रैडिट मैमों संख्या 1537, दिनांक शून्य द्वारा 5 अद्द रोकड़ बहियाँ क्रय की गई, का भुगतान चैक संख्याः 398317, दिनांक 03.12.2010 द्वारा किया गया। इस क्रय के सन्दर्भ में न तो कोई निविदाऐं (quotations) आमंत्रित की गई और न ही क्रय समिति का गठन कर संस्तुति प्राप्त की गई।

अतः उपरोक्त अनियमितता के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर पूर्ण रोक लगाना सुनिष्चित किया जाए।

8-5 fMikfftV dk;l gsrq fd, x, ₹5]00]000@&ds Hkqxrku dk mi;ksfxrk izek.k i= izkIr u djuk%&

चैक संख्याः 155644, दिनांक 03.12.2010 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत सर्कल षिमला को नगर पंचायत कोटखाई के नवनिर्मित व्यावसायिक परिसर में बिजली की फिटिंग के (बतौर डिपोज़िट) कार्य करने हेतु ₹4,00,000/–का भुगतान किया गया।

इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि इस कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत सर्कल, लोक निर्माण विभाग, षिमला ने ₹8,92,000/–का प्राक्कलन नगर पंचायत कोटखाई को भेजा था। नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त ₹4,00,000/–के भुगतान के अतिरिक्त ₹1,00,000/–का और भुगतान अधीक्षण अभियन्ता को किया है। इस प्रकार ₹8,92,000/–के कार्य प्राक्कलन में से ₹5,00,000/–का भुगतान हो चुका है तथा ₹3,92,000/–का भुगतान शेष है तथा इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को चर्चा में बताया गया कि शेष भुगतान अंकेक्षण की समाप्ति तक भी नहीं हुआ है।

किन्तु ₹5,00,000/–के भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित प्रमाण पत्र यथासमय प्राप्त करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

8-6 ₹16]880@&dk lkeku dh LVkd izfof"V;k¡ u djuk ¼&

नगर पंचायत के व्यय वाऊचरों व स्टॉक रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹16,880/–के सामान की न तो प्राप्ति की और न ही निर्गम की स्टॉक प्रविष्टियाँ की गई है जिनके अभाव में दर्षाया गया व्यय संदेहास्पद प्रतीत होता है :–

Øekad	QeZ dk fooj.k	dk;kZy; okÅpj dk fooj.k o QeZ ds fcy dk fooj.k	oLrq dk fooj.k	oLrq dk ewY;
1	मैसर्ज जिया लाल एण्ड सन्ज़ कोटखाई	वा0सं0 3, दिनांक 07.04.07 व फर्म बिल संख्याः 1666, दिनांक 02.02.07	झाड़ू (Broom)	₹35.00
2	मैसर्ज सूद ब्रदर्ज़, कोटखाई	वा0सं0 3, दिनांक 07.04.07 व फर्म बिल सं0 546, दिनांक 22.12.06	5 मीटर लट्ठा (कपड़ा)	₹100.00
3	मैसर्ज हरिदास एण्ड कं0, सब्जी मण्डी षिमला	वा0सं0 3, दिनांक 07.04.07 तथा फर्म बिल संख्याः 11688, दिनांक 23.02.07	एक पैकेट लिफाफे (16–ए)	₹75.00
4	मैसर्ज सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	वा.सं0 3, दिनांक 07.04.07 तथा फर्म बिल संख्याः शून्य, दिनांक 09.03.07	1 रिम कागज 1 बोतल गोंद 1 पैकेट पिन 1 पैकेट लिफाफे 1 बन्डल टैग 10 फाईल क्वर	₹120.00 ₹30.00 ₹20.00 ₹10.00 ₹8.00 ₹130.00
5	मैसर्ज सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	वा.सं0 3, दिनांक 07.04.07 तथा फर्म बिल संख्याः शून्य, दिनांक 12.10.2006	5 बड़े लिफाफे	₹50.00
6	मैसर्ज सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	वा.सं0 3, दिनांक 07.04.07 तथा फर्म बिल संख्याः शून्य, दिनांक 27.10.2006	2 पैकेट लिफाफे 10 फाईल क्वर 2 बोतल गोंद 1 रिम कागज़ 2 वाईट फ्लूड	₹30.00 ₹70.00 ₹24.00 ₹120.00 ₹30.00

7	मैसर्ज सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	वा.सं0 3, दिनांक 07.04.07 तथा फर्म बिल संख्याः शून्य, दिनांक 27.10.2006	10 फाईल क्वर 1 रिम वाईट पेपर	₹70.00 ₹125.00
8	मैंसर्ज कपूर प्रिन्टर्ज, प्रिन्टर्ज, स्टेषनर्ज़ एवं जनरल ऑर्डर सप्लायर्ज़, कपूर गैस्ट हाऊस, सन्जौली, षिमला–6	वा.सं0 3, दिनांक 07.04.07 तथा फर्म बिल संख्याः 1537, दिनांक शून्य	5 अदद कैष बुक	₹5,300.00
9	मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला	वा.सं0 3, दिनांक 07.04.07 तथा विभाग बिल/कैष मैमों सं0: 0002441, दिनांक 21.01.07	15 कलैण्डर 5 अधिकारी डायरियां	₹82.50 ₹175.00
10	मैसर्ज प्रकाष एन्टर प्राईज़ेज़ 72 राम बाजार षिमला–1	फर्म कैष मैमो/बिल सं0 700, दिनांक 24.06.2010 जिसका भुगतान चैक संख्याः 398318, दिनांक 03.12.2010 द्वारा किया गया	Engraving of Granite stone	₹8,000.00
11	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल सं0 शून्य दिनांक 21.08.10 जिसका भुगतान चैक सं0 398320, दिनांक 03.12.2010 द्वारा आहरित किया गया	1 ream paper	₹280.00
12	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल सं0 शून्य दिनांक 04.09.10 जिसके भुगतान का आहरण उपरोक्त चैक द्वारा ही किया गया	1 No. High lighter 10 File Cover	₹20.00 ₹100.00
13	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल सं0 शून्य दिनांक 29.09.10 जिसके भुगतान का आहरण उपरोक्त चैक द्वारा ही किया गया	1 Packet Pins	₹27.00
14	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो,	बिल सं0 शून्य दिनांक	2 Nos. Glue	₹10.00

	कोटखाई	25.10.10 जिसके भुगतान का आहरण उपरोक्त चैक द्वारा ही किया गया	Sticks	
15	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल सं0 शून्य दिनांक 02.11.10 जिसके भुगतान का आहरण उपरोक्त चैक द्वारा ही किया गया	1 Packet Envelop (medium)	₹45.00
			1 Packet envelop (small)	₹20.00
			1 ream typing paper	₹140.00
			1 Packet Pins	₹27.00
			20 nos. File covers	₹200.00
16	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल सं0 शून्य दिनांक 13.12.10 जिसके भुगतान का आहरण उपरोक्त चैक द्वारा ही किया गया	10 Nos. file Covers	₹140.00
17	मैसर्ज़ संदीप बुक शॉप, कोटखाई	बिल संख्याः 3852, दिनांक 25.10.10 जिसके भुगतान का आहरण उपरोक्त चैक द्वारा किया गया।	1 No eraser	₹26.00
18	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल संख्याः शून्य, दिनांक 13.01.10 जिसके भुगतान का आहरण चैक संख्या 183483 दिनांक 19.03.10 द्वारा किया गया।	3 Nos Graph Sheets	₹30.00
19	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल संख्याः शून्य, दिनांक 19.01.10 जिसके भुगतान का आहरण चैक संख्या 183483 दिनांक 19.03.10 द्वारा किया गया।	1 gum Paste	₹30.00
20	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल संख्याः शून्य, दिनांक 06.02.10 जिसके भुगतान	5 Nos Graph Sheets	₹35.00

		का आहरण चैक संख्या 183483 दिनांक 19.03.10 द्वारा किया गया।	1 Ream Paper	₹250.00
21	मैसर्ज़ सुन्दर बुक डिपो, कोटखाई	बिल संख्याः शून्य, दिनांक 18.02.10 जिसके भुगतान का आहरण चैक संख्या 183483 दिनांक 19.03.10 द्वारा किया गया।	2 Nos Register	₹120.00
			4 White Paper envelops	₹80.00
			20 File Covers	₹180.00
			20 Carbon Papers	₹40.00
			1 Bundle Tag	₹10.00
			1 Ream Paper	₹221.00
			3 Nos Registers	₹156.00
			4 Nos File Covers	₹88.00
		d|y ;kx		₹16]879-00
			vFkkZr	₹16]880@&

चूंकि स्टॉक प्रविष्टियों के अभाव में दर्षाया गया व्यय प्रामाणिक (Genuine) नहीं माना जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य मे प्रत्येक क्रय किए गए सामान की प्राप्ति व खपत की शत प्रतिषत स्टॉक प्रविष्टियाँ समय–समय पर की जानी सुनिष्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त तालिका के क्रम संख्याः 4 से 7, 11 से 16 तथा 18 से 21 पर वर्णित फर्म के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी बिल मौलिक नहीं थे क्योंकि किसी भी बिल पर न तो बिल संख्याः अंकित थी और न ही फर्म का बिक्री कर संख्या इत्यादि अंकित थी ऐसी परिस्थितियो में बिक्री कर तथा आयकर के अपवंचन (evasion) की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य में ऐसे बिलों को भुगतान हेतु स्वीकार करने की प्रवृति तत्काल समाप्त की जाए ताकि बिक्री कर व आयकर के अपवंचन (evasion) की सम्भावनाओं पर अंकुष सम्भव हो सके।

8-7 <u>30-53 ?kuehVj jsr dk lHkkfor nq:i;ksx %&</u>

स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 15 पर दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार निर्माण कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार रेत की मात्रा को जारी किया हुआ दर्षाया गया है :–

Øekd	fnukd	dk;Z dk fooj.k ekiu iqfLrdk dk fooj.k lfgr	jsr dh tkjh ek=k

1	15.09.2009	C/o retaining wall near the house of Smt. Indrani (माप पुस्तिका संख्या 21, पृष्ठ 51)	16.00 घनमीटर
2	30.09.2009	C/o retaining wall near the house of Smt. Indrani (माप पुस्तिका संख्या 21, पृष्ठ 51)	14.55 घनमीटर
		Total	30-55 ?kuehVj

किन्तु उपरोक्त दर्षाई गई माप पुस्तिका संख्याः 21 के पृष्ठ 51 पर रेत की प्रमात्रा से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई। अतः इस प्रकरण की पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा 30.55 घनमीटर रेत की कीमत की वसूली भाड़े सहित दोषी कर्मचारी से करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

8-8 19-37 ?kuehVj jsr o 4-78 ?kuehVj jksMh dh [kjhn ls lEcfU/kr nLrkost vadsk.k esa iLrqr u djuk %&

स्टॉक रजिस्टर में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में रेत व रोड़ी क्रय/प्राप्त की हुई दर्षाई गई है :–

Øekad	fnukad	oLrq dk fooj.k	ifjek.k	LVkd jftLVj dk fooj.k
1	21.07.08	रेत	0.41 घनमीटर	पृष्ठ सं0: 14 व 15
2	05.11.08	रेत	0.41 घनमीटर	पृष्ठ सं0: 14 व 15
3	07.11.08	रेत	0.41 घनमीटर	पृष्ठ सं0: 14 व 15
4	12.11.08	रेत	0.28 घनमीटर	पृष्ठ सं0: 14 व 15
5	25.07.09	रेत	1.86 घनमीटर	पृष्ठ सं0: 14 व 15
6	15.09.09	रेत	16.00 घनमीटर	पृष्ठ सं0: 14 व 15
7	25.07.09	रोड़ी (Aggregate 20mm)	1.93 घनमीटर	पृष्ठ सं0: 26
8	15.09.09	रोड़ी (Aggregate 20mm)	2.85 घनमीटर	पृष्ठ सं0: 26

किन्तु न तो स्टॉक रजिस्टर में उपरोक्त निर्माण सामग्री की प्राप्ती के सन्दर्भ में कोई उल्लेख जैसे कि रेत व रोड़ी कहां से व किस दर से प्राप्त हुई है, और न ही कोई ऐसा दस्तावेज़ अथवा प्रविष्टि जिससे इन प्रष्नों का उत्तर स्पष्ट हो सके। अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया। अतः

अभिलेख के अभाव में उपरोक्त स्टॉक प्रविष्टियों का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो सका।

अतः वांछित अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में खरीदी गई प्रत्येक सामग्री के बिल का पूर्ण उल्लेख सन्दर्भन हेतु स्टॉक रजिस्टर में किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

8-9 bUMsUV izfLrdk o LVkWd jftLVj esa d`r izfof"V;ksa dh iek=k esa fHkUurk rFkk LVkWd jftLVj esa d`r izfof"V;ksa dk lR;kiu u fd;k tkuk %&

इन्डैन्ट संख्याः 26/09, दिनांक 26.04.2009 द्वारा श्री आर0डी0जस्टा, ठेकेदार को 200 बोरी सीमेन्ट जारी किया गया जबकि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–6 पर इस इन्डैन्ट के विरूद्ध सीमेन्ट की प्रमात्रा 220 बोरियाँ दर्षाने के कारण स्टॉक रजिस्टर में 20 सीमेन्ट की बोरियाँ अधिक जारी की हुई दर्षाई गई हैं। इसके विपरीत इसी ठेकेदार को इसी कार्य हेतु दिनांक 01.01.2010 को 20 बोरियाँ सीमेन्ट इन्डैन्ट संख्याः 78/09 द्वारा जारी की गई है जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई है। यद्यपि उपरोक्त दोनों त्रुटियाँ एक दूसरे के अनुपूरक होने के कारण इन प्रकरणों में स्टॉक की प्रमात्रा अथवा निर्माण कार्य में सीमेन्ट खपत की प्रमात्रा में कोई अन्तर नहीं पड़ा तथापि पर्याप्त पर्यवेक्षण के अभाव में ऐसे प्रकरणों के घटित होने के कारण निर्माण कार्य सामग्री के दुयपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

चूंकि स्टॉक रजिस्टर में कृत प्रविष्टियों को अंकेक्षण अवधि में सचिव, नगर पंचायत द्वारा कभी भी सत्यापित/अधिप्रमाणित नहीं किया गया है। अतः भविष्य में इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए ताकि ऐसे प्रकरणों के घटित होने से बचा जा सके।

i|jk 9 fuekZ.k dk;Z %&

9-1 Bsdsnkjksa }kjk dk;Z foyEc ls lekIr djus ij vuqcU/k dh /kkjk&2 ds vuq:Ik ₹31]101@&dh olwyh u djuk %&

निर्माण कार्यों के बिलों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण न करने पर तथा नगर पंचायत कार्यालय द्वारा ठेकेदारों के अनुबन्ध पर समय सीमा में बढ़ौतरी हेतु आवष्यक बढ़ौतरी न प्रदान किए जाने की अवस्था में ठेकेदारों से अनुबन्ध की धारा–2 में विहित प्रावधानानुसार वसूली नहीं की गई है जबकि उक्त धारा के अनुसार “In the event of the contractor failing to comply with this

condition, he shall be liable to pay an amount equal to one percent or such smaller amount as the Municipal Council may decide on the said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity of the work remains incomplete provided always that the entire amount of compensation shall not exceed 10% on the estimated cost of the work shown in the tender”. अतः चयनित मासों में निम्नलिख्ति प्रकरणों में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप भी निम्न विवरणानुसार ₹31,101/–की राषि वसूली योग्य शेष थी :–

Bdnkj dk uke o Hkxrku dk fooj.k	dk;l dk fooj.k	dk;l lekiu dh fu/kkfjr frfFk	dk;l i.kl djus dh okLrfod frfFk	dk;l dh vuqekfur ykxr	olyh ;kX; {kfrifr jkf'k ¼vuqekfur ykxr dk 10%½
1	2	3	4	5	6
श्री राजेन्द्र मैहता, ठेकेदार को चैक संख्याः 398343, दिनांक 31.12.2010 द्वारा प्रथम चलत बिल का ₹1,50,099/–का भुगतान किया गया	Providing kota stone flooring on street between SBI building and girls school	21.09.10	कार्य प्रगति पर है	₹2,39,781	₹23,978
श्री प्रमोद घालटा, ठेकेदार को चैक संख्याः 398326, दिनांक 14.12.2010 द्वारा प्रथम व अन्तिम बिल का ₹44,236/–का भुगतान किया गया	C/o retaining wall behing collection place for garbage near bus stand Kotkhai	23.10.10	30.11.10	₹71,226	₹7,123
				Total	₹31]101

अतः उक्त राषि की वूसली न करने के करणों को स्पष्ट करने के साथ–साथ अन्य सभी इसी प्रकार के मामलों की जाँच विभागीय स्तर पर करने के उपरान्त वसूली योग्य राषि (यदि कोई हो) की वसूली भी सुनिष्चित करें।

9-2 eki iqfLrdk esa xyr x.kuk ds dkj.k Bsdsnkj dks ₹1]981@&dk vf/kd Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः 13, दिनांक 05.05.2008 की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर द्वारा मैसर्ज़ जस्टा कंस्ट्रक्षन कम्पनी (श्री आर0डी0 जस्टा, ठेकेदार), को Multipurpose Shopping complex Kotkhai के निर्माण कार्य जो पत्र संख्याः 830, दिनांक 21.07.2006 द्वारा आबंटित किया गया था, के प्रथम चलित बिल का भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्याः 11 में कृत रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य की प्रमात्रा की गणना करते समय जमा, भाग अथवा गुणा की गणना त्रुटिपूर्वक करते हुए निम्न विवरणानुसार ठेकेदार को ₹1,981/—का अधिक भुगतान हुआ है।

Øekad	en dk fooj.k	en dh izek=k tks okLro esa curh gS	en dh izek=k tks x.kuk esa yh xbZ	vf/kd izek=k	Hkqxrku dh nj	vf/kd Hkqxrku dh jkf'k
1	2	3	4	5 {¼4½-¼3½}	6	7 {¼5½x¼6½}
1	Providing foam work with steel plates 3.15mm thick in beam cantilevers etc.	237.09 वर्गमीटर	252.79 वर्गमीटर	15.70 वर्गमीटर	₹124 प्रति वर्गमीटर	₹1,947
2	Providing Tor steel reinforcement for RCC work	11464.72 किलोग्राम	11465.66 किलोग्राम	0.94 किलोग्राम	₹36 प्रति किलोग्राम	₹34
					dqy ;ksx	₹1]981

अतः उपरोक्त ₹1,981/—के अधिक भुगतान की वसूली यथाषीघ्र सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

9-3 वाऊचर संख्या 17/3, माह 03/2010 द्वारा श्री मोहन चौहान, ठेकेदार को वार्ड नम्बर—3 में सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु द्वितीय व अंतिम बिल की राषि ₹8,015/—का भुगतान चैक संख्याः 183493 दिनांक 19.03.2010 द्वारा किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई :—

9-3-1 Bsdsnkj ls tqekZuk dh ₹5]645@&dh olwyh u djuk %&

यह कार्य पत्र संख्याः 3018, दिनांक 30.09.2009 द्वारा ठेकेदार को आबंटित किया गया तथा उक्त पत्र के अनुसार यह कार्य दिनांक 11.01.2010 तक समाप्त किया जाना अपेक्षित था अन्यथा contract agreement के प्रावधानानुसार estimated cost की राषि के अधिकतम 10% भाग की कटौती ठेकेदार से जुर्माने के रूप में वसूल की जानी अपेक्षित थी। माप पुस्तिका संख्या 23 के पृष्ठ 79 पर प्रविष्टियों के अनुसार यह कार्य दिनांक 12.10.2009 को प्रारम्भ किया गया तथा दिनांक 11.02.2010 को पूर्ण किया गया। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने में आवष्यक समय बढ़ौतरी हेतु ठेकेदार से कोई अनुरोध भी नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस प्रकरण में ठेकेदार से अनुमानित लागत अर्थात ₹56,452/—के दस प्रतिषत अर्थात ₹5,645/—की वसूली की जानी अपेक्षित थी जो कि अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं की गई। अतः उक्त वसूली सुनिष्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

9-3-2 l{ke ikf/kdkjh dh Lohd`fr ds fcuk ₹12]207@&dh vfrfjDr enks dk fu"iknu djuk %&

इस निर्माण कार्य में निम्नवर्णित अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया जिस सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई :—

Øekad	fu"ikfnr vfrfjDr en dk fooj.k	ifjek=k	Hkqxrku dh nj	Hkqxrku dh dqy jkf'k
1	2	3	4	5
1	Providing 40x3 mm flat iron hold fast 40 cm long i/c fixing to frame with 10 mm dia bolts, nuts and wooden plugs and embedding in C.C. block 30x30x15 cm 1:3:6 (1cement, 3 sand, 6 graded stone aggregate of 20 mm nominal size) (M.B No. 23 page-81)	38 अद्द	₹60 प्रति	₹2,280
2	P/T M.S. Pressed bult hinges with necessary screws. (MB No. 23 Page-81)	15 अद्द	₹21.72 प्रति	₹326
3	P/L CC. 1:2:4 (1cement, 2 sand, 4 graded stone of 20 mm nominal size) and curing complete excluding cost of foam work in plinth and foundation. (MB No. 23 Page-82)	1.67 घनमीटर	₹3468 प्रति	₹5,792

4	P/L Phinolex UVS-SWR face unplastized PVC Pipe confirming to IS 13582 type ‘A’ (MB No. 23 page-84)	20.70 रनिंग मीटर	₹134.90 प्रति रनिंग मी0	₹2,792
5	P/L Phinolex UVS-SWR face unplastized PVC fillings confirming to IS 13582 type ‘A’ (MB No. 23 Page-85)	10 अदद	₹101.70 प्रति फिटिंग	₹1,017
			dqy ;ksx	₹12]207

अतः उपरोक्त अतिरिक्त मदों को निष्पादित किए जाने के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए ताकि किए गए अनियमित भुगतान का नियमन सम्भव हो सके अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिष्चित की जाए।

9-3-3 fuekZ.k dk;Z dk lekiu izek.k i= ¼**Completion Certificate**½ vizLrqr djus dk u n'kkZuk ¼&

माप पुस्तिका संख्याः 23 के पृष्ठ–79 पर प्रविष्टियों के अनुसार यह कार्य 11.02.2010 को पूर्ण हो चुका था तथा इस कार्य के द्वितीय एवं अंतिम बिल का भुगतान मार्च, 2010 में किया जा चुका था ऐसा प्रतीत होता हे कि यह भुगतान बिना कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी किए हुए किया गया है। अतः अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए बिना किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

9-3-4 okÅpj la[;k 13] fnukad 05-05-2008 ¼&

इस वाऊचर द्वारा मैसर्ज़ आर0डी0 जस्टा, ठेकेदार को बहुदेषीय व्यावसायिक कम्पलैक्स के निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रथम चलत बिल की राषि ₹3,33,581/–का भुगतान चैक संख्याः 0760437, दिनांक 05.05.2008 द्वारा किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई :–

9-4-1 dk;Z fuf'pr le;kof/k esa iw.kZ u gksus ij BsdsnkJ ls ₹5]19]922@&dh olwyh u djuk ¼&

यह कार्य ठेकेदार को पत्र संख्याः 830, दिनांक 21.07.2006 द्वारा आबंटित किया गया जिसके अनुसार यह कार्य एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था तथा इस निष्चित तिथि की गणना उक्त आबंटन पत्र के जारी होने के 15 दिनों पश्चात अर्थात 04.08.2006 से की जानी अपेक्षित थीं इस प्रकार इस कार्य को पूर्ण करने की निष्चित तिथि 03.08.2007 थी। किन्तु उक्त कार्य न तो

अंकेक्षण समाप्ति तक पूर्ण हुआ है और न ही सम्बन्धित ठेकेदार ने इस कार्य को पूर्ण करने हेतु समय अवधि बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध अंकेक्षण की समाप्ति तक किया था। ऐसी अवस्थाओं में Contract agreement's clause-2 के प्रावधान के अनुसार ठेकेदार से कार्य की अनुमानित लागत का 10% भाग हर्जाने के रूप में वसूल किया जाना अपेक्षित था, चूंकि उक्त वसूली अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं की गई थी तथा इस कार्य की अनुमानित लागत ₹51,99,222/–है। अतः इस लागत का 10% भाग अर्थात ₹5,19,922/–की अपेक्षित वसूली अब करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

9-4-2 dk;Z LFky ls izkIr iRFkj dh izfof"V;ka ,e0,0,l0 jftLVj esa u djuk%&

इस कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्याः 11 के पृष्ठ 93–94 के अनुसार कार्य स्थल से शुद्ध 35.32 घनमीटर पत्थर प्राप्त हुआ है जिसकी गणना एम0ए0एस0 रजिस्टर में ली जानी अपेक्षित थी। यद्यपि इसी माप पुस्तिका के पृष्ठ 99 पर प्रविष्टि के अनुसार ठेकेदार से इस 35.32 घनमीटर पत्थर की वसूली ₹350/–प्रति घनमीटर के हिसाब से ₹12,362/–कर ली गई है तथापि अंकेक्षण को इस तथ्य से अवगत नहीं करवाया गया कि उपरोक्त ₹350/–प्रति घनमीटर मूल्य किस आधार व फार्मूले से निर्धारित किया गया है।

अतः न केवल इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए अपितु अपेक्षित मूल्य प्रति घनमीटर अधिक हो जाने की अवस्था में अपेक्षित वसूली भी उचित स्त्रोत से सुनिष्चित की जाए।

9-4-3 Bsdsnkj }kjk fuekZ.k dk;Z **award letter** tkjh djus ls igys izkjEHk djuk%&

ठेकेदार को यह कार्य पत्र संख्याः 830, दिनांक 21.07.2006 द्वारा आबंटित किया गया जबकि अतिरिक्त निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष के सचिव नगर पंचायत कोटखाई को सम्बोधित पत्र संख्याः UD-H(C)/96-Kotkhai-IDSMT-7025, dated 27-06-2006 के अनुसार यह कार्य न केवल award letter के जारी होने से पूर्व ही प्रारम्भ। हो चुका था अपितु इस निर्माण कार्य की संरचना धरातल मंजिल तक हो चुकी थी। उक्त पत्र में प्रयुक्त भाषा निम्नानुसार थी :–

"As stated in your above refered letter, it has been decided that the work of construction of shopping complex under IDSMT at Kotkhai may be awarded to M/S. Justa Constructions, Govt. contractor since construction at site has already been taken up and structure stands raised upto G.F. Level."

अतः इस प्रकरण में अकेक्षण को उपरोक्त गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में यह अवगत करवाया जाए कि किन अवस्थाओं में नगर पंचायत को इस अनियमितता हेतु बाध्य होना पड़ा।

9-4-4 Bdnkj dk dk;l vif{kr vkipkfjDrk,i i.k fd, fcuk gh **award** djuk%&

अतिरिक्त निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष के सचिव नगर पंचायत कोटखाई को सम्बोधित पत्र संख्याः UD-H(C)(10)/96-Kotkhai-IDSMT-4379, dated 28-04-2006 के पैरा 2 के अनुसार :–

“Before issue of award letter it is advised that the structure design of the building in question may be got checked up from the competent authority who has accorded technical sanction before execution. It is further advised that certificate regarding lowest market rates for items taken in justification may be got recorded duly signed by the A.E/M.E. and Secretary Nagar panchayat Kotkhai. It may also be ensured that before issue of award letter, justification of rates may be got signed by the A.E/M.E and Secretary Nagar Panchayat, Kotkhai.”

उपरोक्त वर्णित औपचारिक्ताऐं न केवल उपरोक्त पत्र के अनुसार award letter के जारी होने से पहले पूर्ण की जानी अपेक्षित थी अपितु आबंटन पत्र जारी करने हेतु Pre-requisete conditions भी थी। किन्तु अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि न तो इस निर्माण कार्य की मदों की दरों (analysis of rates) को A.E/M.E द्वारा अनुमोदित किया गया था और न ही उपरोक्तानुसार न्यूनतम बाज़ार भाव सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र A.E/M.E द्वारा जारी किये गए थे। ऐसी अवस्थाओं में करवाया जा रहा निर्माण कार्य न्यूनतम एवं प्रतियोगी दरों पर करवाया जाना नहीं माना जा सकता।

अतः अपेक्षित कार्यवाही अब करने के अतिरिक्त उपरोक्त अनुदेषों की अवहेलना के सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9-4-5 l{ke ikf/kdkjh d vueknu d fcuk ₹25]455@&d eY; d vfrfjDr en dk fu"iknu djokuk%&

उपरोक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में यह भी पाया गया कि इस कार्य में निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त मदों का निष्पादन भी किया गया है।

fUk"ikfnr vfrfjDr en dk fooj.k	iek=k	Hkxrku dh nj	Hkxrku dh jkf'k

Cutting in earthwork in all kinds of soil with in all leads and lifts	330.75 m^3	₹76.96 m^3	₹25,455

उपरोक्त अतिरिक्त मद के निष्पादन के सन्दर्भ में न तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमोदन अंकेक्षण को दर्षाया गया और न ही अंकेक्षण को एतसम्बन्धी अनुमोदित Analysis of rate दर्षाए गए। इन अभावों में कृत भुगतान नियमित नहीं माना जा सकता। अतः यह तो इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए अन्यथा किए गए अनियमित भुगतान की वसूली सुनिष्चित की जाए।

9-5 ₹386@&dk vf/kd Hkqxrku djuk%&

मस्टर रोल संख्याः 36 माह 3/2010 द्वारा दो बेलदारों को ₹770/–का भुगतान (प्रत्येक को 3½ दिनों का ₹110/–प्रतिदिन के हिसाब से) किया गया। इस भुगतान सम्बन्धी माप पुस्तिका संख्याः 10 के पृष्ठ 29 से 31 पर प्रविष्टियों के अनुसार यह भुगतान निम्न विवरणानुसार कार्य करने के एवज़ में किया गया :–

Øekd	dk;l dk fooj.k	dk;l dh iek=k	Hkqxrku dh nj	Hkqxrku dh jkf'k
1	Excavation in foundation trenches etc. in earth work upto 1.5m stocking the excavated soil	0.57 m^3	₹85.45 per m^3	₹49.00
2	P/L C.C. 1:2:4 (1cement, 2 Sand] 4 graded stone aggregate of 20mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth.	0.57 m^3	₹224.90 per m^3	₹129.00
		Total		₹178.00
	Add 115.68% cost index			₹206.00
			Total	₹384-00

चूंकि इस प्रकरण में ₹384/–के मूल्य के कार्य के बदले में ₹770/–का भुगतान किया गया है। अतः इस प्रकरण में 770–384 = ₹386/–का अपव्यय हुआ है जिसकी भरपाई उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

9-6 ₹2209@&dh ifrHkfr jkf'k dh dVkrh ds fcuk Bsdsnkj dks Hkqxrku djuk%&

मैसर्ज़ ईमाम बैल्डिंग वर्कस, छोल, कोटखाई को चैक संख्याः 398328, दिनांक 14.12.2010 को निम्न कार्य के प्रथम चलित बिल के लिए ₹21,139 का भुगतान किया गया :–

"P/F M.S. steps from shopping complex to Ram Bazar Road, P/F M.S. railing along the road from the house of Sh. Bharat Bhushan to shop of Sh. Prem Chand, P/F M.S. steel door in toilet of ward no. 5."

इस कार्य से सम्बन्धी माप पुस्तिका 18 के पृष्ठ–28 के अवलोकन से विदित होता है इस कार्य की कुल कीमत (Total value of work done) ₹22089/–थी नियमानुसार 10% की दर से प्रतिभूति राषि ₹2209/–की कटौती की जानी अपेक्षित थी। चूंकि नगर पंचायत द्वारा यह कटौती नहीं की गई। अतः उक्त कटौती न किए जाने के ठोस कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर पूर्ण रोक लगाना भी सुनिष्चित किया जाए।

9-7 <u>Bsdsnkjksa ls fcØh dj vkSj Hkou midj ¼**Sales Tax and building cess**½ dh dVkSfr;ksa dk lEcfU/kr foHkkxksa esa tek u djokuk</u> ¼&

नगर पंचायत के निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ठेकेदारों से Total value of work done की 2% की दर से बिक्री कर की तथा 1% की दर से भवन उपकर की कटौती की जा रही थी। इन कटौतियों से प्राप्त राषियों को सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया था। चूंकि नगर परिषद कार्यालय में इन कटौतियों का कोई लेखा जोखा नहीं था। अतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि ठेकेदारों से वास्तव में इन करों/उपकरों की कुल कितनी राषियों की कटौती की गई थी तथा यह राषियाँ कब से सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाई गई।

अतः न केवल उक्त खाते तैयार किए जाऐं अपितु उक्त कटौतियों को सम्बन्धित विभागों में अविलम्ब जमा करवाया जाना सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

9-8 <u>Bsdsnkjksa ls izkIr vfxze /ku ¼**Earnest money**½ okfil ykSVk, tkus dh izfof"V;ka vfxze /ku jftLVj ¼**Earnest money Register**½ esa u djuk</u> ¼&

निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि ठेकेदारों को वापिस लौटाए गए अग्रिम धन (Earnest money) की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टर में नहीं की गई है :–

okÅpj la[;k	Bsdsnkj dk uke	dk;Z dk fooj.k	ykSVk;k x;k vfxze /ku
21 दिनांक, 23.05.2008	श्री विरेन्द्र घान्टा	C/o drain with foot path	₹1,652

		from Om Prakesh building to Kanha Singh building	
22 दिनांक, 23.05.2008	श्री बलदेव राज मैहता	C/o drain with foot path from Om Prakesh building to Kanha Singh building	₹1,652
		dqy ;ksx	₹3]304

उपरोक्त अनियमितता की अवस्था में दोहरे भुगतान की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः न केवल उपरोक्त प्रविष्टियाँ अंकित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए अपितु भविष्य में यह प्रविष्टियाँ भुगतान के साथ ही की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि दोहरे भुगतान की कोई सम्भावना शुन्य की जा सके।

9-9 fuek.k dk;l e i;Dr iRFkjk o tkjh fd, x, iRFkjk dh iek=k e fHkUurk %&

विभागीय स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्य “C/o retaining wall near the house of Smt. Indrani” की माप पुस्तिका संख्याः 14 के पृष्ठ–51 के अनुसार कार्य हेतु पत्थर की Theratical consumption की गणना 123.63 घनमीटर की गई इसी माप पुस्तिका के इसी पृष्ठ पर इस कार्य हेतु 123.70 घनमीटर पत्थर जारी किया हुआ दर्षाया गया था। इसके विपरीत स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–39 पर इस निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार 106.55 घनमीटर पत्थर जारी किया गया था

Øekd	iRFkj tkjh djus dh frfFk	tkjh iRFkj dh iek=k
1	16.09.2009	34.39 घनमीटर
2	22.09.2009	38.72 घनमीटर
3	30.09.2009	33.44 घनमीटर
	dqy ;ksx	106-55 ?kuehVj

चूंकि उपरोक्त जारी किए गए पत्थरों की प्रविष्टियों के अतिरिक्त कोई अन्य स्टॉक प्रविष्टि अंकेक्षण को नहीं दर्षाई गई। अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व यह स्पष्ट किया जाए कि जब निर्माण कार्य हेतु 106.55 घनमीटर पत्थर जारी किया गया है तो शेष पत्थर अर्थात 123.70–106.55 = 17.15 घनमीटर पत्थर कहां से प्राप्त हुआ?

ijk 10 okgu %&

नगर पंचायत के पास एक मात्र वाहन Hydraulic Tipper (हाईड्रोलिक टिप्पर) है जो कि कूड़ा कर्कट इत्यादि ढोने (disposal) के उद्देष्य से अक्तूबर, 2010 में खरीदा गया। इस वाहन की खरीद/रख–रखाव के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ पाई गई।

10-1 okgu dk mi;kx u djuk %&

वाहन अक्तूबर, 2010 में खरीदा गया तथा इस वाहन का उपयोग अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं हुआ जिसका कारण नगर पंचायत में चालक का सृजित पद स्वीकृत न होना बताया गयां यद्यपि नगर पंचायत में चालक के पद को अंषकालिक आधार पर भरने का मामला सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः 4015, दिनांक 19.01.2010 द्वारा निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष से उठाया गया है। तथापि अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रगति नहीं हुई है जिस कारण टिप्पर अनुप्युक्त ही पड़ा है। अतः इस सन्दर्भ में त्वरित कार्यवाही सुनिष्चित की जाए ताकि खरीदे गए वाहन का सदुपयोग सुनिष्चित हो सके।

10-2 vfxze Hkqxrku dh lk<s pkj ekg i'pkr okgu izkIr djuk %&

इस टिप्पर की खरीद हेतु निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष से अगस्त, 2009 में अनुदान के रूप में ₹5,50,000/–की राषि प्राप्त हुई थी तथा शेष राषि अर्थात ₹2,18,274/–का भुगतान नगर पंचायत द्वारा अपनी निधि से करते हुए ₹7,68,274/–का ड्राफ्ट संख्याः 630246, दिनांक 16.06.2010 को मैसर्ज़ सिकन्द एण्ड कम्पनी चम्बाघाट, सोलन को प्रेषित किया गया जबकि उक्त कम्पनी से टिप्पर 29.10.2010 को प्राप्त किया गया। चूंकि टिप्पर लगभग साढ़े चार महीने के अन्तराल के पश्चात प्राप्त किया गया है जिस कारण नगर पंचायत को ब्याज के रूप में अप्रत्यक्ष हानि हुई है। अतः टिप्पर प्राप्त करने में हुए विलम्ब को Justify किया जाए अन्यथा ब्याज की वसूली सुनिष्चित की जाए।

10-3 okgu dh ykx cqd o jj[k&j[kko ykx cqd dk j[k&j[kko u djuk %&

इस टिप्पर हेतु 26 लिटर डीज़ल ₹38.94 प्रति लिटर के हिसाब से Messers snowline, filling station, Theog से कैष मैमों संख्याः2543, दिनांक 29.10.2010 के अन्तर्गत क्रय किया गया जिसका भुगतान श्री घनष्याम शर्मा, कनिष्ट अभियन्ता द्वारा अपनी जेब से किया गया। चूंकि उक्त कर्मचारी को किए भुगतान की प्रतिपूर्ति 24.12.2010 को नगर पंचायत कार्यालय द्वारा की जा चुकी है तथापि क्रय किए गए डीज़ल की प्रविष्टि वाहन की लॉग बुक में नहीं की गई है। वास्तव में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक लॉग बुक तथा रख–रखाव लॉग बुक के रख–रखाव की प्रक्रिया प्रारम्भ ही नहीं की गई थी। इन लॉग बुकों का रख–रखाव न करना

सरकारी अनुदेषों की अवहेलना है। अतः उपरोक्त दोनों लॉग बुकों का रख–रखाव तुरन्त सुनिष्चित करते हुए वाहन से सम्बन्धित खरीद से अद्यतन तक प्रत्येक प्रविष्टियाँ इन लॉग बुकों में की जाऐं व अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

10-4 [kjhns x, okgu dk iathdj.k u djokuk %&

नगर पंचायत द्वारा खरीदे गए वाहन का पंजीकरण अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता हैं। अतः इस सन्दर्भ में त्वरित कार्यवाही करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाने के अतिरिक्त उक्त कार्यवाही अब तक न किए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ijk 11 deZpkfj;ksa dks fn, x, vlek;ksftr vxz/ku cdk;k %&

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा किसी भी कर्मचारी से अग्रधन के रूप में कोई भी राषि वसूली योग्य शेष नहीं थी जिसकी पुष्टि इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत, कोटखाई द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र (परिषिष्ट 'द') से भी हो जाती है।

ijk 12 isa'ku ys[kk %&

12-1 isa'ku ,oa xzsP;qVh fuf/k esa foHkkxh; izHkkj dk va'knku u djuk %&

हिमाचल प्रदेष म्नुसिपल कर्मचारी (पैन्षन ग्रेच्युटी एवं सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000, जो कि दिनांक 25.04.2000 को अधिसूचित हुए थे, के अनुसार प्रत्येक नगर परिषद/पंचायत को अपने बजट की स्वीकृत आय का 10% हिस्सा बतौर विभागीय प्रभार पैन्षन एवं ग्रैच्युटी निधि में निवेष किया जाना अपेक्षित है। किन्तु नगर पंचायत कोटखाई द्वारा यह अपेक्षित निवेष वर्ष 2000–2001 से अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं किया गया। चूंकि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के बजट आंकड़े अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः ज्ञात न हो सका कि अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त अंषदान के रूप में कितना निवेष किया जाना अपेक्षित था।

अतः उपरोक्त अंषदान वर्ष 2000–2001 से अद्यतन नियमानुसार सुनिष्चित करते हुए अंषदान का सत्यापन आगामी अंकेक्षण से करवाया जाना सुनिष्चित करने के अतिरिक्त अब तक अपेक्षित अंषदान न किए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12-2 उपरोक्त नियमों के नियम 3(4) के अनुसार पैन्षन एवं ग्रैच्युटी खाते में संचित राषि को सरकारी Securities and Bonds में निवेष किया जाना अपेक्षित है ताकि इस संचित राषि पर अधिक

से अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्यवाही यथाषीघ्र अमल में लाकर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

i`jk 13 y?kq vkifÙk foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है, समस्त लघु आपत्तियों को स्थल पर ही निपटा दिया गया है।

i`jk 14 fu"d"kZ %& लेखाओं में नितान्त सुधार की आवष्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर ठोस कार्यवाही करनी भी सुनिष्चित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(1)86/87-फिन(एल0ए0),खण्ड– दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

i`thd`r %& 1- सचिव, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2- निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

¼vuq d`ekj ?kk:½